भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1880

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटरों की संपरीक्षा

1880. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री तनुज पुनिया:

श्री बैन्नी बेहनन:

श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) देश में अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केंद्रों पर कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किए गए उपायों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रदान की गई सेवा की कार्यकुशलता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु स्व-मूल्यांकन के उपकरण के रूप में ओएससी की सामाजिक संपरीक्षा करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या ओएससी पहल सहायता मांगने वाली महिलाओं और वास्तव में सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं के बीच की खाई को पाटने में सहायक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केंद्रों के बारे में पहुंच और जागरुकता बढ़ाने के लिए क्या कदम/योजना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि और अधिक महिलाएं इनकी सेवाओं का उपयोग करें?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) : देश में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है तथा देश में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) की वर्ष-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को मानकीकृत करने के लिए गुवाहाटी, इंदौर और बैंगलोर में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के क्षेत्रीय केंद्रों पर तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), एनआईपीसीसीडी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी सत्रों की सुविधा के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) : वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग के माध्यम से किया गया था। अध्ययन में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया।

(ड.) : सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसाग्रस्त और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। ओएससी जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एकीकृत श्रृंखला भी प्रदान करते हैं। स्थापना के बाद से 31 मई 2024 तक, देश भर में इन ओएससी के माध्यम से 9.19 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(च) : मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का समग्र कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, संकल्प - महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना सहित महिला केंद्रित योजनाओं से संबंधित जन जागरूकता और अभियान चलाए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"वन स्टॉप सेंटरों के ऑडिट" के विषय में श्री अंतो एंटनी, श्री तनुज पुनिया, श्री बेनी बेहनन और श्री रामसहायम रघुराम रेड्डी द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

देश में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यशील ओएससी की संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	19
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	36
5	बिहार	38
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	27
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	3
9	दिल्ली	11
10	गोवा	2
11	गुजरात	35
12	हरियाणा	22
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	जम्मू एवं कश्मीर	20
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	38
17	केरल	14
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	57
21	महाराष्ट्र	42
22	मणिपुर	16
23	मेघालय	12
24	मिजोरम	8
25	नागालैंड	11
26	ओडिशा	30
27	पुद्दुचेरी	4

28	पंजाब	23
29	राजस्थान	37
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	47
32	तेलंगाना	36
33	त्रिपुरा	8
34	उत्तर प्रदेश	79
35	उत्तराखंड	14
36	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**785**

अनुलग्नक-II

"वन स्टॉप सेंटरों के ऑडिट" के विषय में श्री अंतो एंटनी, श्री तनुज पुनिया, श्री बेनी बेहनन और श्री रामसहायम रघुराम रेड्डी द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

देश में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों की संख्या

वर्ष	**कार्यशील ओएससी की संख्या**
2015 -16	33
2016 -17	103
2017-18	204
2018-19	495
2019-20	683
2020-21	688
2021-22	708
2022-23	733
2023-24	769
2024-25	785

****